संख्या–जी–2–107/दस–2012

प्रेषक,

वृन्दा सरुप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 17 अप्रैल, 2012

विषयः तत्काल आरक्षण सुविधा के अंतर्गत आरक्षण/निरस्तीकरण कराये जाने पर दिए गए अथवा काटे गये अतिरिक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–23(AAA) में राजकीय कर्मचारियों को राजकीय यात्राओं के लिए भारतीय रेल में आरक्षण कराये जाने पर देय सरचार्ज, आरक्षण शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है और ऐसे शुल्कों को रेलवे किराये के रूप में माना गया है। भारतीय रेल ने पिछले कुछ समय से तत्काल स्कीम शुरू की है। यदि सामान्य तरीके से टिकट न उपलब्ध हो और यात्रा की अपरिहार्यता हो, तो इस स्कीम के अंतर्गत अनुमन्य श्रेणी में यात्रा करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में तत्काल व्यवस्था के अंतर्गत टिकट प्राप्त करने पर दिए गए अतिरिक्त चार्ज की प्रतिपूर्ति आवश्यक हो जाती है।

2– अतः प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय, अपरिहार्य परिस्थितियों में शासकीय कार्य हेतु की गयी यात्राओं के लिए, जिन्हें नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तत्काल योजना के अंतर्गत राजकीय कर्मचारियों द्वारा आरक्षण कराये जाने की स्थिति में दिए गए अतिरिक्त शुल्क/निरस्तीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यात्रा भत्ता बिलों के माध्यम से किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। संबंधित नियम में यथासमय आवश्यक संशोधन किए जायेंगे।

3– उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीया,
वृन्दा सरुप
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–जी–2–107(1)/दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश
(4)– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5)– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6)– निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7)– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

1 Circ-2 (s-2.doc